न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/32/2025
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2025/190

अपीलार्थी
श्री घनश्याम तिवाडी पुत्र श्री झारसीराम,
नि0 ग्राम व पोस्ट–हरसाना, तहसील–लक्ष्मणगढ
जिला–अलवर (राज.)

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 28.04.2025
प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 28.05.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित। प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन कियागया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 09.03.2025 के द्वारा "आ.ख.नं. 383 वाके ग्राम–हरसाना, तह0 लक्ष्मणगढ पर बन्द जल भराई नहर में कृषि चाही जमीन पर किए जा रहे निर्माण कार्य संबंधी प्रस्तुत शिकायत दिनांकः 03.03.2025 के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही किए जाने, अभी तक कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण बाबत स्पष्टीकरण स्वरूप सूचना/प्रतिलिपि चाही गई थी।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण हस्तगत अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. आर.टी.आई./2025/706 दिनांकः 22.05.2025 के माध्यम से बिन्दुवार जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी के सूचना आवेदन व हस्तगत अपील के तथ्यों का विवेचन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 09.03.2025 के उनके कार्यालय अभिलेखानुसार अप्राप्त होना अवगत कराया गया है, साथ ही अंकित किया है कि चाही गई सूचना, आ.ख.नं. 383 वाके ग्राम–हरसाना, तह0 लक्ष्मणगढ पर बन्द जल भराई नहर में कृषि चाही जमीन पर किए जा रहे निर्माण कार्य संबंधी प्रस्तुत शिकायत के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत शिकायत का दिनांक अंकित नहीं होने के कारण सूचना अदेय है।
7. अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 09.3.2025 अंतर्गत हस्तगत शिकायत प्रा0पत्र दिनांकः 03.03.2025 जो कि रजिस्टर्ड प्रस्तुत किया जाना अंकित किया है, के अभी तक कार्यालय को प्राप्त नहीं होना संदेहास्पद प्रतीत होता है।
8. अतः उक्त आलोक में **अपील, अपीलार्थी स्वीकार** की जाकर निस्तारित की जाती है, प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो कार्यालय अभिलेख में पुनः जॉच कर **सूचना आवेदन दिनांकः 09.03.2025 में संदर्भित शिकायत प्रा0पत्र दिनांकः 03.03.2025** के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही बाबत अद्यतन सूचना से अपीलार्थी को निःशुल्क ही पंजीकृत–पत्र के माध्यम से सूचित कर इस न्यायालय को भी प्रति पृष्ठांकित करें।
9. आज दिनांकः 28.05.2025 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकितकिया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)